रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939
No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

का. आ.277(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2482 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 21 जुलाई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, यह लगभग 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु की समृद्ध जैविकीय महत्व का प्रतिनिधित्व है;

और, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), बर्फीला तेंदुआ (*अन्किया अन्कियाल*), हिमालय भूरा भालू (*अरसस अर्कटोस*), हिमालय ताहर (*हेमिट्रागस जमलाहिकस*), हिमालयी मुसंग (*पागुमा लौर्वाता*), हिमालयी पीले धारीदार मार्टन (*मार्टस फ्लविग्यूला*), काला भालू (*उर्सस थिबेट्नस*), हिमालयी इबोक्स (*कैपरा बबैक्स*), कस्तूरी मृग (*मोशस क्रायसोस्टर*), बंदर (*मकाका मुलाट्टा*), हनुमान लंगूर (*सेम्नोपेटेकस इन्टेलस*), हिमालयी गोरल (*नामोरेडस गैरल*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), फ्लाइंग गिलहरी

(*पेट्रिस्ता पेट्रिस्ता*), ब्लू शिप (*स्यूडोइस नायोर*), तेंदुआ बिल्ली (*फेलिस बेंगलेंसिस*), साही (हैट्रिक्स इंडिका), हिमालयी मोनल (*लोफोफोरस इम्पेजानु*), मुंजक (*मोंटजैकस मंटजेक*), कोकलाश (*पक्रेशिया मैक्रोओलोफा*), कालीज (*लोफरा ल्यूकोमेलानोस*), ब्लू विस्टलिंग थ्रश (*मायोफोनस केरुलेस*), हिमालयी ग्रिफ़ोन (*जिप्स हिलायैनिज़िस*), हिमालयी पाईड कठफोड़वा (*डेंडास्कोपोस हिमालाएंसिस*), कॉमन होओपो (*अपुपा एपॉप्स*), लार्ज पाइड वाग्टेल (*मोटेसिला मेदरस्पेटेंसिस*), येलो-बिल्ड ब्लू मैग्पीज (*उरोकास्सा फ्लैविरॉस्ट्रिस*), ऑरेंज-फ्लेंक्ड बुश रॉबिन (*टारसीगर सायनुरुस*), ब्लू रॉक कबूतर (*कोलुम्बा लिविया*), ग्रेट बारबेट (*मेगालाइमा विरेंस*), पिंक-ब्राव्ड रोसफिंच (*कार्पोडैस रॉडोकोरस*), ओरिएंटल ट्री पीपिट (*एंथस हॉजसॉनी*), व्हाइट कैप्ड रेडस्टार्ट (चाइमार्मर्निस लेयूस्कोफेलस) आदि है।

और, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण वनस्पतियां स्पर्स (*पिसिया स्मिथियाना*), फर (*एबिस पंड्रो*), खारशू (*क्वार्सस सेमीकापॉफ़ोलिया*), बुरन (*रोडोडेंड्रोन आर्बोरेटम*), रखल (*टैक्सस बाकाटा*), खानोर (*एस्क्यूकलस इंडिका*), बॉक्सवुड (*बक्सस वॉलिचियाना*), वॉलनट (*जुग्लन्स रीजेरिया*), भोजपातरा (*बेटुला युटिलिस*), प्रूनस (*प्रूनस एसपी*), आश (*फ्रैक्सिनस माइक्रांथा*), और मैपल (एसेर पिक्टम) आदि है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी और झाड़ी रूबस (*रुबस एल्डिटिकस*), कश्मल (*बेबरीस अरिस्टाटा*), गुची (*मोर्चेला एस्कुलांटा*), काठी (*इंडिगोफेरा पुल्चेला*), गुलाब (*रोजा मस्ज़ाटा*), बेखल (प्रिंसिपिया युटिलिस), आइवी (*हेडेरा एसपीपी*), स्पाइरा (*स्पाइरा एलिगेंस*), सरकोकोक्का (*सरकोकोक्का सल्ग्रा*), आईरिस (*आईरिस एसपीपी*), डिस्बरग्ला (*देरेगेसीया एसपी*), गेरारडायना (*गेरार्डियानिया हीट्रोफिला*), डेफने (*डाफ्ने पैपरासिया*), प्लेक्ट्रान्थस (*प्लेक्ट्रान्थस रुगोसस*), लोनीकेरा (*लोनिकरा एसपीपी.*), थिलेक्ट्रम (*थेलिक्ट्रम एसपीपी.*), साल्विया (*साल्विया एसपीपी.*), केस्टर (*रीसिन्सस कम्युनिस*), शिंगली मिंगली (*डायोस्कोरा डेलटोइडेआ*), पातीश (*एकोनिट्यूम एसपीपी.*), धूप (*जुरीनी मैक्रोसेफला*), कोटेनेस्टर (*कोटोनेस्टर एसपीपी*), वेलेरियाना (*वेलेरियाना वालिची*), कैनबिस (*कैनाबिस सैटिवा*), कुरौआ (*जेनेटियान कुरुओ*), आर्टेमेसिया (*आर्टेमिसिया एसपीपी*), सलाम पंजा (*ऑर्सीस लेटिफोलिया*), थिम्स (*थिम्स एसपीपी*), एनीमोन (*एनीमोन एसपीपी.*), डीउत्ज़िया (*डीउटज़िया कॉम्पैक्ट*), रमक्स (*रमक्स हैसटेट्स*), पॉलीगोनम (*पॉलीगोनम एसपीपी.*), स्ट्रोबिलैन्थस (*स्ट्रोबिलन्थस एसपीपी*), बाल्साम (*इपातिएन्स एसपीपी*), बनक्षा (*वायोला एसपीपी.*), प्रीमुला (*प्रीमुला एसपीपी.*), रैनुनकुलस (*रैनुनकुलस एसपीपी.*), ससेफ्रागा (*सैकिफ्रागा लिगुलाटा*), जंगली स्ट्रॉबेरी (*फ्रेग्रिया न्यूबिकोला*) आदि हैं।

और, बर्फीला तेंदुआ (*यूनसिया यूनसिअल*), हिमालयी भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोस*), हिमालयन तहर (*हेमित्रगस जेम्लाहिस*), काला भालू (*उर्सस थिबेटनस*), हिमालयन इबेक्स (*कैपरा इबेक्स*), कस्तूरी मृग (*मोशस क्रायसोगैस्टर*), हिमालयन ग्रिफ़ोन (*जीपस हिमालयिएन्सिस*) रखल (*टैक्सस बकाटा*), भोजपतारा (*बेटुला यूटिलिस*), मेपल (*एसर पिंटम*), गेरारडीयाना (*गेरारडियानिया हीट्रोफिला*), शिंगली मिंगली (*डायोस्कोरा डेलटोइडेआ*), पतिश (*एकोनिट्यूम एसपीपी*), धूप (*जुरीनी मैक्रोसेफला*), आर्टेमेसिया (*आर्टेमिसिया एसपीपी.*), सलाम पंजा (*ऑर्किस लैटिफ़ोलिया*), बनक्षा (*वाइला एसपीपी*) आदि, राष्टीय उद्यान के महत्वपूर्ण दुर्लभ/लुप्तप्राय/संकटापन्न वनस्पति और जीव-जन्तु हैं।

और, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारो ओर 469 मीटर से 2.125 किलोमीटर के क्षेत्र को इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन से 469 मीटर से 2.125 किलोमीटर तक फैला हुआ है इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र 47.2 वर्ग किलोमीटर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और सीमा के ब्यौरे तथा इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II क-ख** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) संरक्षित क्षेत्र के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक और पारिस्थितिकी संवेदी जोन **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं आते हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(3) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन;
(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगरपालिक;
(vi) राजस्व;
(vii) कृषि;
(viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग;

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी। योजना का मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए पैरा 4 की सारणी में सूची बद्ध विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-कालिक होगा।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भूमि-उपयोग -** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो

पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें गृह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और स्तंभ के पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोते** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगे। तथापि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टो की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन कार्यकलापो के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी

शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ग) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - राज्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वयन करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में संकलित किए जांएगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप दी जा सकेगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:-** परिवहन का यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण लागू विधियों के अनुसार का रोकथाम और नियंत्रण के अनुपालन में किया जाएगा ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगाः-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नई मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	दुकानदार द्वारा प्लास्टिक बैग का उपयोग।	लागू विधि के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाए) |
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरना या गर्म वायु गुब्बारों आदि का उड़ाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
11.	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के सबंध में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा या उसकी सीमा से एक किलोमीटर के भीतर जो भी हो, नए वाणिज्यिक होंटलो और रिसोर्टो को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं ।
12.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिकी संवेदी जोन जो भी निकट हो की

		सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा | परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी | परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा |
13.	भूमि में खाई खोदना ।	भूमि में नई खाई खोदने का कार्य प्रतिषिद्ध है। भूमि में पुरानी खुदी हुई खाइयां लागू विधियों के अधीन विनियमित की जानी है ।
14.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे |
15.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे |
17.	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निर्देशनो का पालन किया जाएगा |
19.	प्रवासी चरागाह।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत लाइनों का निर्माण।	भूमिगत केबल विछाए जाने को प्रोत्साहित करना पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गुजर कर जाने वाली सभी विद्यमान वैद्यमान वैद्युत लाइनें आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रूप से विद्युत रोधित की जाएंगी ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के अबाध संचलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड नहीं लगाई जाएगी और कोई भी बाड एक मीटर से अधिक की नहीं होगी । इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
23.	गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्राकृतिक जल संसाधन का वाणिज्यिक	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	उपयोग जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	
26.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) विनियमित होंगे ।
29.	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	आंचलिक महायोजना के अधीन जब तक अन्यथा अनुज्ञात न हो कोई संनिर्माण क्रियाकलाप एक से दस से अधिक ढालों वाली पहाडी पर और किसी नदी या प्राकृतिक नाले के तटों से 100 मीटर तक भी नहीं किया जाएगा।
31.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु श्रेणी उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु श्रेणी और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
32.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	पारिस्थितिकी-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
37.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए तीन साल की एक निगरानी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) वन संरक्षक, कुल्लू -अध्यक्ष ;

(ii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जो तीन वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य;

(iii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण भी है) जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य;

(iv) क्षेत्रीय कार्यपालक इंजीनियर,हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(v) क्षेत्र का ज्येष्ठ योजनाकार - सदस्य ;

(vi) प्रभागीय वन अधिकारी, (वन्यजीव) कुल्लू – सदस्य;

(vii) राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य;

(viii) प्रभागीय वन अधिकारी, कुल्लू - सदस्य-सचिव।

6. निर्देशन निबंधन

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/23/2016-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर,वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक

उत्तर: सीमा इंदरकिला उद्यान के आंतरिक भाग की लगभग 1300 मीटर की स्ट्रीप की चौड़ाई के साथ आरंभ होती है।

भू-निर्देशांक:

उत्तर	$77^0$17'15.548"	$32^0$21'08.328"

पूर्व: सीमा हमटा पास के साथ आरंभ होती है जो कि लहौल प्रभाग और मनाली वन श्रेणी अलग होती है।

भू-निर्देशांक:

पूर्व	$77^0$20'07.848"	$32^0$19'07.491"
	$77^0$21'52.264"	$32^0$13'32.628"

दक्षिण: सीमा छिका क्षेत्र के जगतसुख-III वन के नागर श्रेणी के साथ टिकरु टपरी और पंजु टपरी के आंतरिक भाग की लगभग 1000 मीटर स्ट्रीप की चौड़ाई के साथ आरंभ होती है।

भू-निर्देशांक:

दक्षिण	$77^0$18'34.253"	$32^0$12'19.033"
	$77^0$15'48.352"	$32^0$12'23.156"

पश्चिम: सीमा भ्रीगु झील के एल्लैन नाला के साथ 2/17 हमटा गहर सी-III की अंतिम सीमा से 900 मीटर की स्ट्रीप की चौड़ाई के साथ आरंभ होती है।

पश्चिम	$77^0$14'45.786"	$32^0$18'24.386"
	$77^0$13'10.879"	$32^0$15'21.923"

उपाबंध – IIक

अक्षांश और देशांतर के साथ इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

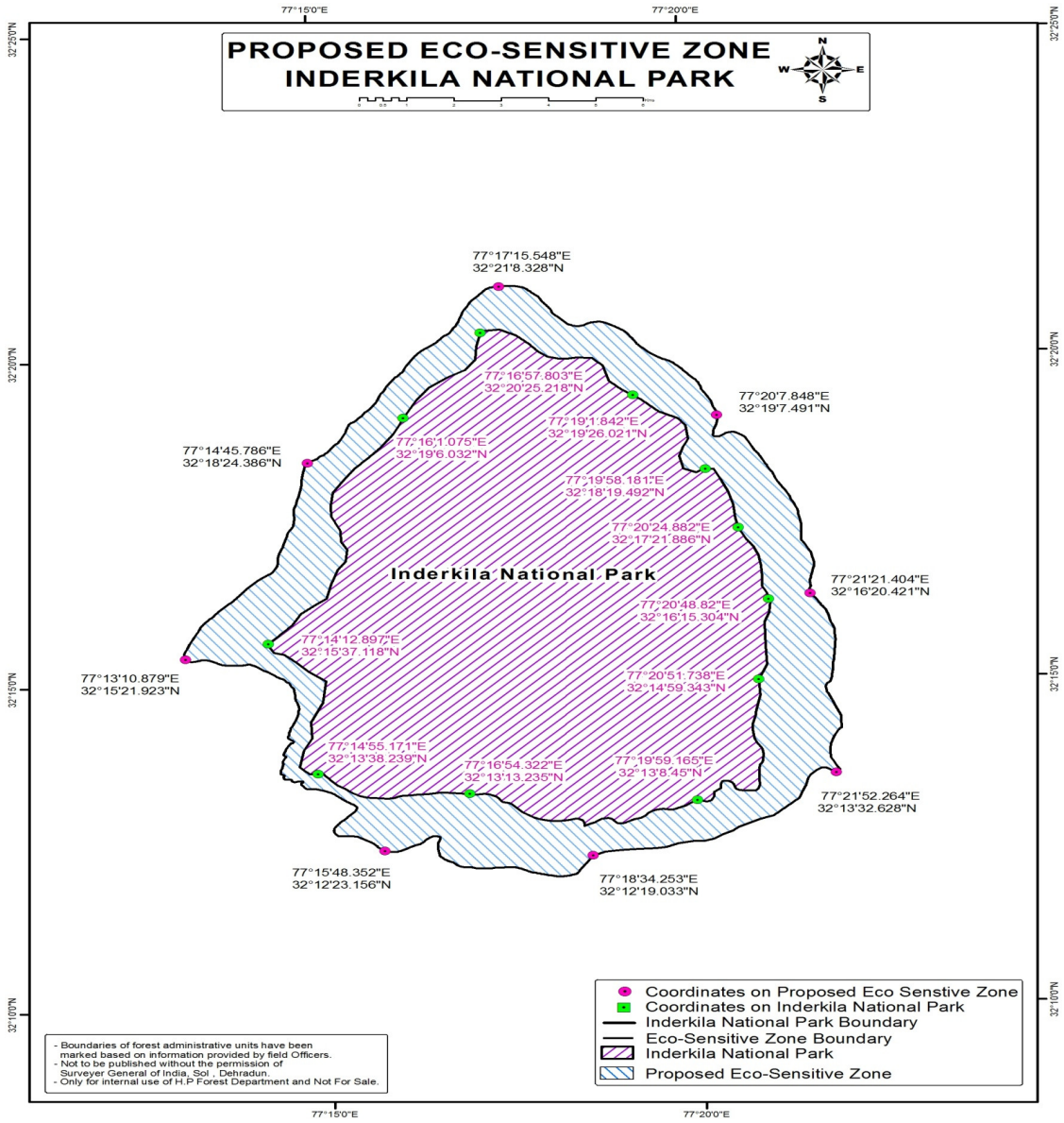

उपाबंध – II ख

अक्षांश और देशांतर के साथ इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

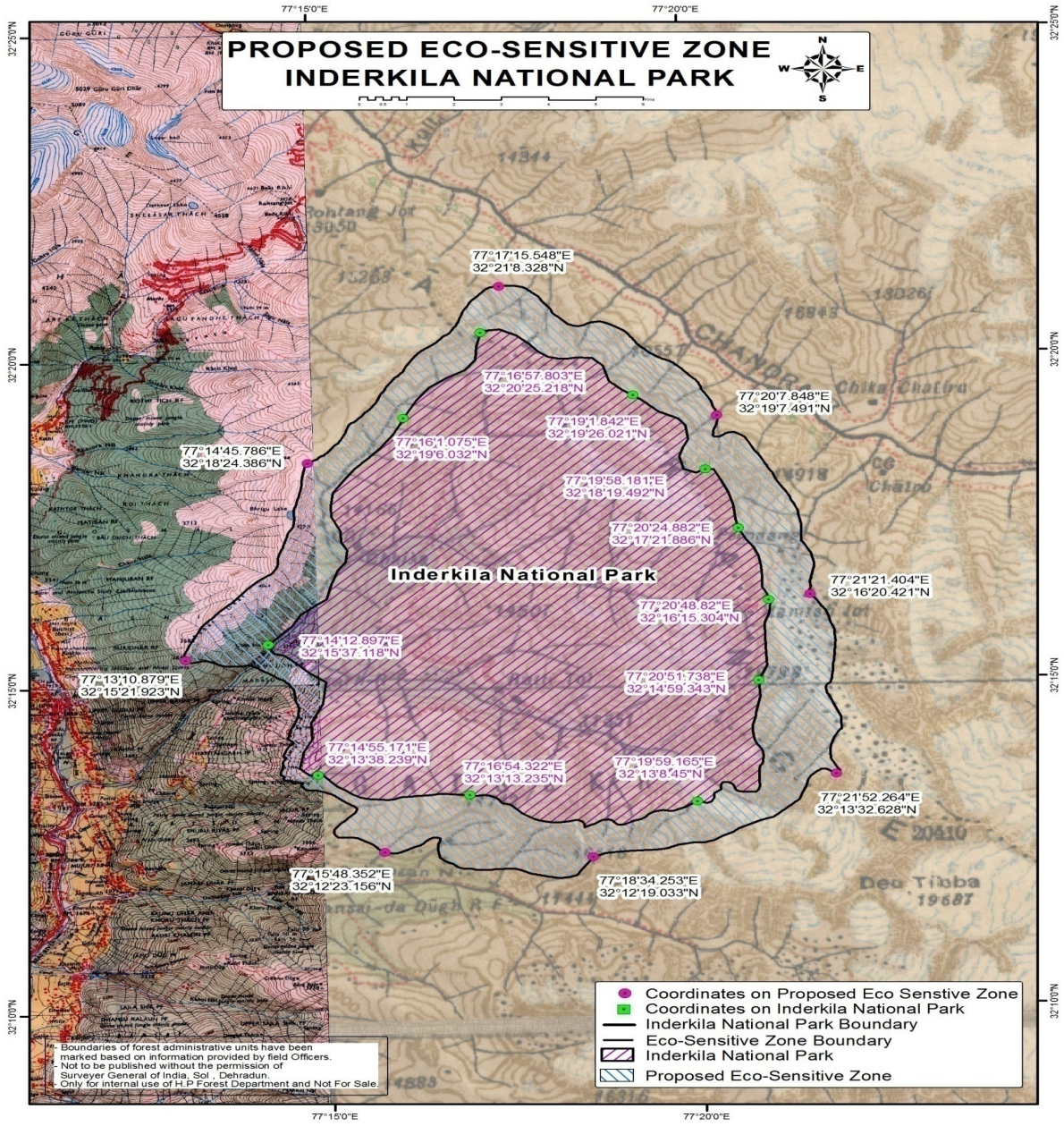

उपाबंध III

सारणी क: इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश देशांतर

क्र. सं.		**देशांतर**	**अक्षांश**	**टिप्पणियां**
1	उत्तरी	77°16'57.803" पू	32°20'25.218"उ	उत्तरी सीमा
		77°19'1.842" पू	32°19'26.021"उ	उत्तरी सीमा
		77°19'58.181" पू	32°18'19.492"उ	उत्तरी सीमा
2	पूर्वी	77°20'24.882" पू	32°17'21.886"उ	पूर्वी सीमा
		77°20'48.82" पू	32°16'15.304"उ	पूर्वी सीमा
		77°20'51.738" पू	32°14'59.343"उ	पूर्वी सीमा
3	दक्षिण	77°19'59.165" पू	32°13'8.45"उ	दक्षिणी सीमा
		77°16'54.322" पू	32°13'13.235"उ	दक्षिणी सीमा
		77°14'55.171" पू	32°13'38.239"उ	दक्षिणी सीमा
4	पश्चिम	77°14'12.897" पू	32°15'37.118"उ	पश्चिमी सीमा
		77°16'1.075" पू	32°19'6.032"उ	पश्चिमी सीमा

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश देशांतर

क्र.स.		देशांतर	अक्षांश	टिप्पणियां
1	उत्तर	77°17'15.548"पू	32°21'8.328"उ	उत्तरी सीमा
		77°20'7.848"पू	32°19'7.491"उ	उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा के प्रारंभिक बिंदु
2	पूर्व	77°21'21.404"पू	32°16'20.421"उ	पूर्वी सीमा
		77°21'52.264"पू	32°13'32.628"उ	पूर्वी सीमा और दक्षिणी सीमा के प्रारंभिक बिंदु
3	दक्षिण	77°18'34.253"पू	32°12'19.033"उ	दक्षिणी सीमा
		77°15'48.352"पू	32°12'23.156"उ	पश्चिमी सीमा के दक्षिणी सीमा का प्रारंभिक बिंदु
4	पश्चिम	77°13'10.879"पू	32°15'21.923"उ	पश्चिमी सीमा

		77º14'45.786"पू	32º18'24.386"उ	पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा के प्रारंभिक बिंदु

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
1	77°16’57.803”-पू	32°20’25.218”-उ	उत्तरी सीमा
2.	77°19’ 1.842”-पू	32°19’26.021”-उ	उत्तरी सीमा
3.	77°19’58.181”-पू	32°18’19.492”-उ	उत्तरी सीमा
4.	77°20’24.882”-पू	32°17’21.886”-उ	पूर्वी सीमा
5.	77°20’48.82”-पू	32°16’15.304”-उ	पूर्वी सीमा
6	77°20’53.38”-पू	32°14’30.251”-उ	पूर्वी सीमा
7.	77°23’14.633”-पू	32°12’35.366”-उ	दक्षिणी सीमा
8.	77°21’53.84”-पू	32°11’44.96”-उ	दक्षिणी सीमा
9.	77°18’31.737”-पू	32°12’22.177”-उ	दक्षिणी सीमा
10	77°16’54.322”-पू	32°13’13.235”-उ	दक्षिणी सीमा
11	77°14’55.171”-पू	32°13’38.239”-उ	पश्चिमी सीमा
12.	77°14’12.897”-पू	32°15’37.118”-उ	पश्चिमी सीमा
13.	77°16’1.075”-पू	32°19’6.032”-उ	उत्तरी सीमा (आरंभिक बिंदु)

<u>इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक</u>

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
1	77°17’15.548”-पू	32°21’8.328”-उ	उत्तरी सीमा
2.	77°20’ 7.848”-पू	32°19’7.491”-उ	उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा का आरंभिक बिंदु
3.	77°21’21.404”-पू	32°16’20.421”-उ	पूर्वी सीमा
4.	77°23’46.309”-पू	32°12’49.694”-उ	दक्षिणी सीमा
5.	77°23’31.613”-पू	32°11’26.135”-उ	दक्षिणी सीमा
6	77°18’51.682”-पू	32°11’41.339”-उ	दक्षिणी सीमा
7.	77°15’48.352”-पू	32°12’23.156”-उ	दक्षिणी सीमा एवं पश्चिमी सीमा का आरंभिक बिंदु
8.	77°13’10.879”-पू	32°15’21.923”-उ	पश्चिमी सीमा
9	77°14’45.786”-पू	32°18’24.386”-उ	पश्चिमी सीमा एवं उत्तरी सीमा का आरंभिक बिंदु

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति -की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें (बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) (ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न किये जा सकेगे)।
5 पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं) ।
6 पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं) ।
7 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8 महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2018

S.O.277(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2482(E), dated the 21st July, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 21st July 2016.

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Inderkila National Park situated in Kullu District of Himachal Pradesh over an area of about 104 sq km square kilometers;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary;

AND WHEREAS, the Inderkila National Park is habitat of Common leopard (*Panthera pardus),* Snow leopard *(Uncia uncial),* Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos)*, Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*),

Himalayan Palm Civet (*Paguma larvata*), Himalayan yellow throated marten (*Martes flavigula*), Black bear (*Ursus thibetanus*), Himalayan Ibex (*Capra ibex),* Musk Deer *(Moschus chrysogaster*), Monkey (*Macaca mulatta),* Hanuman Langoor (*Semnopithecus entellus),* Himalayan Goral, (*Naemorhedus goral*), Jackal (*Canis aureus),* Jungle Cat (*Felis chaus*), Flying Squirrel (*Petaurista petaurista),* Blue Sheep (*Pseudois nayaur),* Leopard Cat (*Felis bengalensis),* Porcupine *(Hystrix indica),* Himalayan Monal (*Lophophorus impejanu),* Barking Deer (*Muntjacus muntjack),* Koklash (*Pucrasia macrolopha),* Kalij (*Lophura leucomelanos),* Blue Whistling thrush *(Myiophonus caeruleus),* Himalayan Griffon (*Gyps himalayensis),* Himalayan Pied woodpecker (*Dendrocopos himalayensis),* Common Hoopoe (*Upupa epops),* Large-pied Wagtail *(Motacilla maderaspatensis),* Yellow-billed Blue Magpies *(Urocissa flavirostris),* Orange-flanked Bush Robin (*Tarsiger cyanurus),* Blue Rock pigeon *(Columba livia),* Great Barbet *(Megalaima virens),* Pink-browed Rosefinch *(Carpodacus rodochrous),* Oriental Tree Pipit *(Anthus hodgsoni),* White capped Redstart *(Chaimarrornis leucocephalus)* etc;

AND WHEREAS, important flora reported from the Inderkila Wildlife Sanctuary are Spruce (*Picea smithiana*), Fir (*Abies pindrow),* Kharshu *(Quercus semicarpifolia),* Burans *(Rhododendron arboretum),* Rakhal *(Taxus baccata),* Khanor *(Aesculus indica),* Boxwood *(Buxus wallichiana),* Walnut *(Juglans regia),* Bhojpatara (*Betula utilis),* Prunus *(Prunus sp),* Ash *(Fraxinus micrantha),* and Maple (*Acer pictum)* etc**.** While, the important herbs and shrubs of the National Park are Rubus (*Rubus ellipticus),* Kashmal *(Berberis aristata),* Guchhi *(Morchella esculanta),* Kathi *(Indigofera pulchella),* Rose *(Rosa moschata),* Bekhal *(Prinsepia utilis),* Ivy *(Hedra spp),* Spirea *(Spirea elegans),* Sarcococca *(Sarcococca saligna),* Iris *(Iris spp),* Desbergla *(Debregesia sp),* Gerardiana (*Gerardiania hetrophylla),* Daphne*(Daphne papyracea),* Plectranthus*(Plectranthus rugosus),* Lonicera *(Lonicera spp.),* Thilectrum *(Thallictrum spp.),* Salvia *(Salvia spp.),* Castor *(Ricinus communis),* Shingli mingli *(Dioscorea deltoidea),* Patish *(Aconitum spp.),* Dhoop *(Jurinea macrocephala),* Cotonester *(Cotoneaster spp),* Valeriana *(Valeriana wallichii),* Canabis *(Canabis sativa),* Kurroa *(Gentiana Kurroo),* Artemesia *(Artemisia spp),* Salam panja *(Orcis latifolia),* Thymus *(Thymus spp.),* Anemone *(Anemone spp.),* Deutzia *(Deutzia compacta),* Rumex *(Rumex hastatus),* Polygonum *(Polygonum spp.),* Strobilanthus *(Strobilanthus spp),* Balsam *(Impatiens spp.),* Banaksha *(Viola spp.),* Primula *(Primula spp.),* Ranunculus *(Ranunculus spp.),* Saxifraga (*Saxifraga ligulata),* Wild strawberry *(Fragaria nubicola)* etc;

AND WHEREAS, Snow leopard (*Uncia uncial),* Himalayan Brown Bear *(Ursus arctos),* Himalayan Tahr *(Hemitragus jemlahicus),* Black bear *(Ursus thibetanus),* Himalayan Ibex *(Capra ibex),* Musk Deer *(Moschus chrysogaster),* Himalayan Griffon (*Gyps himalayensis),* Rakhal (*Taxus baccata),* Bhojpatara (*Betula utilis),* Maple (*Acer pictum),* Gerardiana (*Gerardiania hetrophylla),* Shingli mingli *(Dioscorea deltoidea),* Patish (*Aconitum spp),* Dhoop (*Jurinea macrocephala),* Artemesia (*Artemisia spp.),* Salam panja *(Orcis latifolia),* Banaksha (*Viola spp)* etc. are the important rare, endangered, threatened flora and fauna of the National Park;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Inderkila National Park as Eco-

sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent 469 meter to 2.125 kilometer around the boundary of the Inderkila National Park in the State of Himachal Pradesh as the Inderkila National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent of **469 meter to 2.125 kilometers** from the boundary of the Inderkila National Park and the Eco-sensitive Zone area is **47.2 square kilometers** and the boundary description of the said Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IIA-B**.

(3) The Global Positioning System co-ordinates of Protected Area and Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III**.

(4) No villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(a) Environment;
(b) Forest;
(c) Urban Development;
(d) Tourism;
(e) Municipal;
(f) Revenue;
(g) Agriculture;

(h) Himachal Pradesh State Pollution Control Board;

(i) Irrigation; and

(j) Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant laws of the Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under paragraph 4 of the column:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant laws of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(a) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometer from the boundary of the National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan.

(b) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the

National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(c) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 .

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder and standards stipulated by the State Government.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws.

(16) Industrial Units. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills and wood based industry.	No new or expansion of existing saw mills and wood based industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of polythene bags by shopkeeper.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
12.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their

		land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
13.	Trenching ground.	Establishment of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
14.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of reserve forests and protected forests, the working plan prescriptions shall be followed.
19.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
20.	Erection of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.

21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Collection of Non-timber forest products.	Regulated under applicable laws.
24.	Drastic change of agricultural system.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Fishing.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
29.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by or under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the

5.

		Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
32.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
40.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) Conservator of Forests, Kullu - Chairman

(ii) An expert in the area of ecology and environment - Member
to be nominated by the Government of Himachal Pradesh
for a period of three years

(iii) One representative of non-Governmental Organisation - Member
(Working in the field of environment including heritage
Conservation) to be nominated by the Government of
Himachal Pradesh for a period of three years

(iv) Regional Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution - Member

	Control Board		
(v)	Senior Town Planner of area	-	Member
(vi)	Divisional forest Officer, (Wildlife), Kullu	-	Member
(vii)	Representative of State Bio Diversity Board	-	Member
(viii)	Divisional Forest Officer, Kullu	-	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for a period of three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/23/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist ' G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North: Boundary starts from Chhumuk with approximate average 1300 m strip width up to Inderkila Park inner side.

Geo coordinates:

North	$77^0$17'15.548"	$32^0$21'08.328"

East: Boundary starts along the Hamta Pass which dissects Lahoul Division and Manali Forest Range.

Geo coordinates:

East	$77^0$20'07.848" $77^0$21'52.264"	$32^0$19'07.491" $32^0$13'32.628"

South: Boundary starts from Chhika area of Jagatsukh-III Forest of Naggar Range with approximate average width of 1000 m strip from Tikru Tapri and Panju Tapri inner side.

Geo coordinates:

South	$77^0$18'34.253" $77^0$15'48.352"	$32^0$12'19.033" $32^0$12'23.156"

West: Boundary starts from Bhrigu lake average 900 m strip width from ultimate boundary of 2/17 Hamta Gahar C-III along Allain Nalla.

Geo coordinates:

West	$77^0$14'45.786" $77^0$13'10.879"	$32^0$18'24.386" $32^0$15'21.923"

ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF INDERKILA NATIONAL PARK WITH LATITUDES AND LONGITUDES

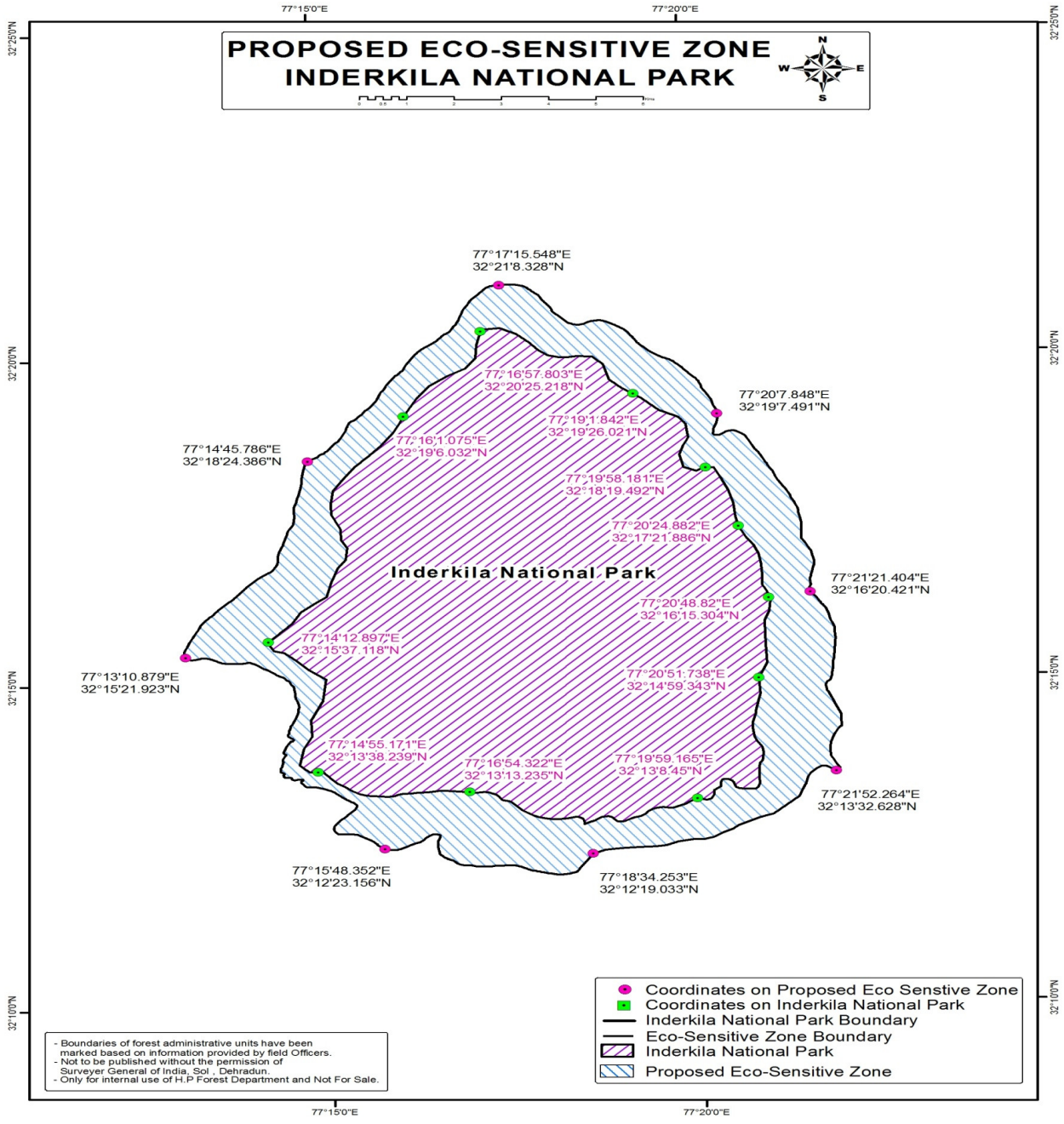

ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF INDERKILA NATIONAL PARK WITH LATITUDES AND LONGITUDES

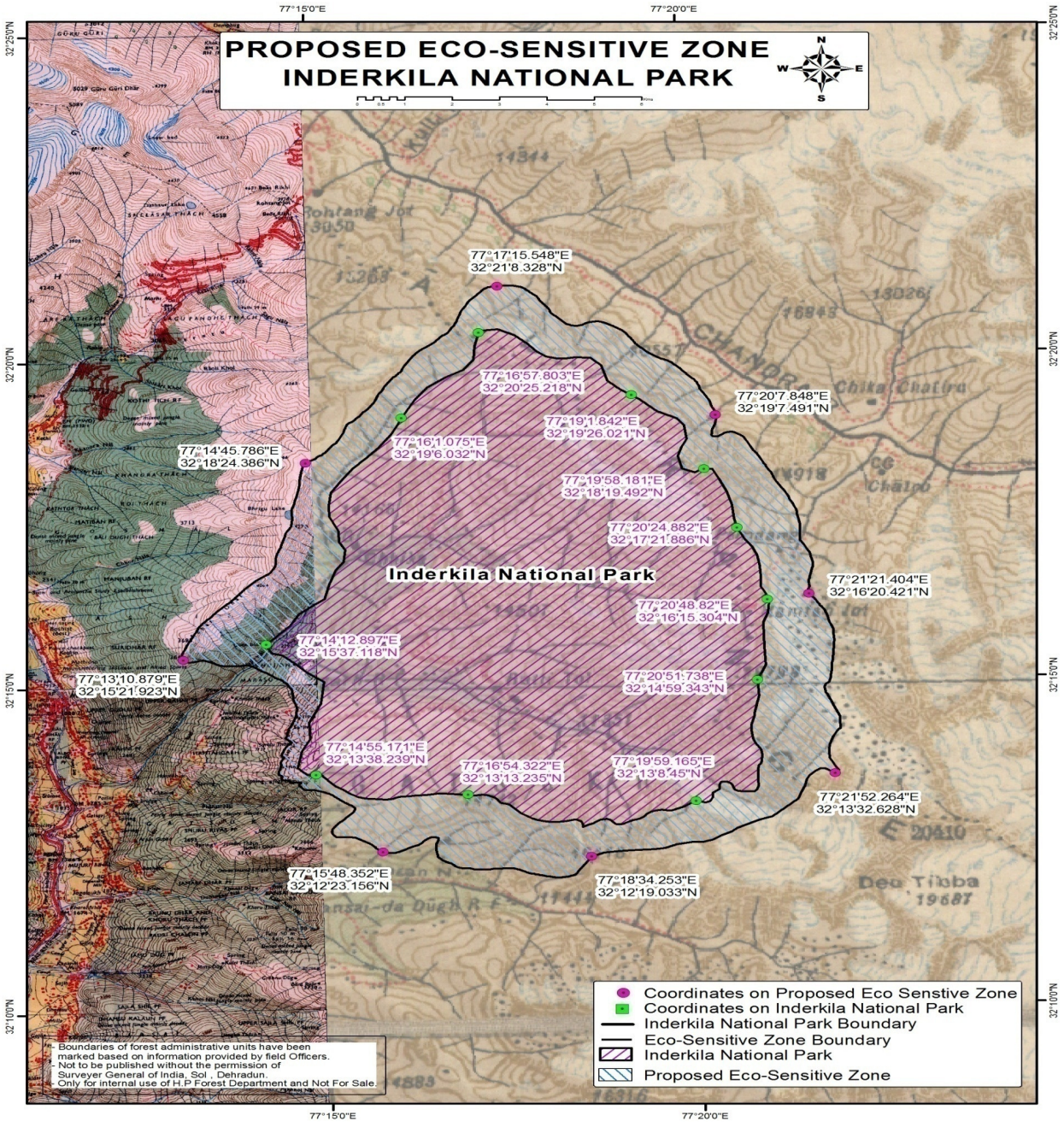

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Inderkila National Park

S.N.		Longitude	Latitude	Remarks
1	North	77°16'57.803" E	32°20'25.218"N	Northern boundary
		77°19'1.842" E	32°19'26.021"N	Northern boundary
		77°19'58.181" E	32°18'19.492"N	Northern boundary
2	East	77°20'24.882" E	32°17'21.886"N	Eastern boundary
		77°20'48.82" E	32°16'15.304"N	Eastern boundary
		77°20'51.738" E	32°14'59.343"N	Eastern boundary
3	South	77°19'59.165" E	32°13'8.45"N	Southern boundary
		77°16'54.322" E	32°13'13.235"N	Southern boundary
		77°14'55.171" E	32°13'38.239"N	Southern boundary
4	West	77°14'12.897" E	32°15'37.118"N	Western boundary
		77°16'1.075" E	32°19'6.032"N	Western boundary

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.N.		Longitude	Latitude	Remarks
1	North	77°17'15.548"E	32°21'8.328"N	Northern boundary
		77°20'7.848"E	32°19'7.491"N	Northern boundary & starting point of eastern boundary
2	East	77°21'21.404"E	32°16'20.421"N	Eastern boundary
		77°21'52.264"E	32°13'32.628"N	Eastern boundary & starting point of southern boundary
3	South	77°18'34.253"E	32°12'19.033"N	Southern boundary
		77°15'48.352"E	32°12'23.156"N	Southern boundary starting point of Western boundary
4	West	77°13'10.879"E	32°15'21.923"N	Western boundary
		77°14'45.786"E	32°18'24.386"N	Western boundary & starting point of northern boundary

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points: (Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise): (Details may be attached as annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: (Details may be attached as separate annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: (Details may be attached as separate annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.23 16:25:19 +05'30'